

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4192 सन् 2026**

नितिन

.....प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ
एवं एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : श्याम करन पांडेय

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. प्रार्थी की विद्वान अधिवक्ता शैलेश पांडे, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अनंत प्रताप सिंह को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में एक अनुपूरक शपथ-पत्र दाखिल किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. वर्तमान आवेदन, जिला अयोध्या के थाना खंडासा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 0081 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 69, 115(2) भारतीय न्याय संहिता में प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. उपरोक्त वाद दिनांक 20.04.2026 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि प्रार्थी ने दिनांक 17.12.2025 को शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। जब शिकायतकर्ता ने उस पर विवाह करने का दबाव डाला, तो प्रार्थी दिनांक 19.12.2025 को उसे अपने घर ले आया और दिनांक 17.04.2026 तक उसे अपनी पत्नी की तरह रखा। जब उसने पुनः विवाह के लिए दबाव बनाया, तो प्रार्थी ने उसके साथ मारपीट की और उसे अपने घर से निकाल दिया।
4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत दर्ज किए गए बयान में पीड़िता ने बताया है कि उसकी आयु 23 वर्ष है और उसने बी०ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। वह प्रार्थी को पिछले पांच वर्षों से जानती है। प्रार्थी ने उसे शादी का झांसा दिया था। जब उसे पता चला कि प्रार्थी का विवाह कहीं और तय हो गया है, तो उसने उससे अपने संबंध तोड़ लिए थे। दिनांक 17.12.2025 को प्रार्थी उसके घर आया और उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों के परिवार के सदस्यों के बीच एक समझौता हुआ कि प्रार्थी शिकायतकर्ता से विवाह करेगा। प्रार्थी उसे अपने घर ले गया और लगभग चार महीने तक वहां रखा। दिनांक 16.04.2025 की रात को प्रार्थी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और दिनांक 17.04.2026 को वह चला गया। शिकायतकर्ता के साथ छह महीने रहने के बाद प्रार्थी ने उससे विवाह करने से मना कर दिया।
5. शिकायतकर्ता की चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण रिपोर्ट में चोट का कोई निशान या बल प्रयोग का कोई संकेत प्रकट नहीं होता है।
6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज बयान में पीड़िता ने अपने पूर्व के कथन को दोहराया है।
7. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र में यह कहा गया है कि प्रार्थी एक निर्दोष व्यक्ति है, उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और वह दिनांक 21.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. प्रार्थी द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथ-पत्र में प्रार्थी की एक अन्य आपराधिक मामले में संलिप्तता का खुलासा किया गया है, जिसके संबंध में प्रार्थी को कोई नोटिस तामील नहीं कराया गया है।

9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि हुई है तथा दिनांक 02.06.2026 को आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

10. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 21.04.2026 से जेल में निरुद्ध है, जबकि विवेचना पहले ही समाप्त हो चुकी है, मेरी यह राय है कि उपरोक्त तथ्य प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का मामला बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

11. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. प्रार्थी- नितिन को उपरोक्त मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय के संतोषानुरूप एक व्यक्तिगत बंध-पत्र और उसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थी अभियोजन के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) प्रार्थी अभियोजन के गवाहों पर कोई दबाव नहीं डालेगा;

(iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

17 जून, 2026

आरती/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।